अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक [illegible]

क्रमांक [illegible], 2011

प्रेस विज्ञप्ति

1. राज्य शासन की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 7(2) का उल्लंघन करते हुए तथा बगैर संबंधित विश्वविद्यालय की सहमति/अनुमति प्राप्त किए एवं वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शिक्षण संस्थाएँ/अध्ययन केन्द्र/महाविद्यालय अवैधानिक रूप से संचालित किए जा रहे हैं व डिग्रियां/सर्टिफिकेट दिये जा रहे हैं

2. इस विषय में राज्य शासन द्वारा अवैधानिक रूप से संचालित शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसी संस्थाओं जिनके द्वारा वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति किए बगैर शिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही है, को एक बार पुनः आगाह किया जाता है कि वे बिना वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हुए शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रम संचालित न किये जाएं अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

3. अवैधानिक रूप से संचालित शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के हितों का रक्षण करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा हेल्प लाइन बनाई गई है जिसका विवरण संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है तथा इसी हेल्प लाइन पर सामान्य नागरिक इस विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी दे सकते हैं/प्राप्त कर सकते हैं।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. सम्पादक महोदय, ... को ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को छात्र हित में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं अनिवार्य रूप से कार्यवाही हेतु)
8. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
9. सूचना पटल/स्वागत काउन्टर।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)